

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

भारत

TEN
RUPEES

10

सत्यमेव जयते
INDIA

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

प्रकाशनाधिकारी
कम्पनी

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 157614

क्रपय पर

मेरी गवाही को उत्तराखण्ड उच्च अदालत को बुलाया गया है।
मेरी गवाही - गांग-झाला घास - माड़ी दह भाला 150
मील वाली गांगा नदी के बाएँ ओर बाला है।
उच्च अदालत को एक दिन - 1 अगस्त 2012 को बुलाया गया है।
मेरी गवाही में दो दोषी आमंत्रित किये गये हैं।
मेरी गवाही में दोषी आमंत्रित किये गये हैं।

स्थान - दिनांक

ठाठ - 6/1/12

शामिल
E. शामिल

6/1/2012

Mr.
B. K. SHARMA
Notary Public
LAW OFFICES M.A.P.



३

प्ररूप 26
(नियम 4 के देखिए)

४६ कापका८ निर्वाचन क्षेत्र से

१ (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विंस० ल० ट० ट० कापका८ (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/प्रस्ती जन्म दिनांक/आयु ३५ वर्ष, जो ग्राम-
..... द्वारा द्वारा की की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षा करता हूँ/करती हूँ/
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दड़नीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।)


- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ✗
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ✗ जिला (जिले) राज्य
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ✗
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई ✗
- (v) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे ✗
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं ✗

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिशासी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ✗
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है ✗
- (iii) पुलिस थाना (थाने) ✗ जिला (जिले) ✗ राज्य ✗
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ✗
- (v) तारीख (तारीखों) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे ✗
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं ✗

स्थान-
तारीख- ११/२०१२




राम सिंह
अभिशासी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

८०० स्थान पर आज तारीख 6/1/12 को सत्यापित किया।



टिप्पणी: इस प्रैरूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

रामसिंह
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

6/1/12

Mr. R. S. Biharamshah
Secretary Public
Baroda 442 001